विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0031813

मेसर्स सुरभि टेक्सटाईल्स, — **आवेदक**
33 ए व 34 बी,
सेक्टर ''सी'' सांवेर रोड़,
औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर – 452015 (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रबंध संचालक, — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर – 452003 (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 25.07.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के प्रकरण क्रमांक W0188611 मेसर्स सुरभि टेक्सटाईल्स विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी में पारित आदेश दिनांक 01.05.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.11.10 को उसके परिसर का निरीक्षण किया गया था तथा उसके परिसर में स्थापित मीटर क्रमांक 09599 में 27.7 हार्स पावर का भार होना दर्शाया गया था । अतः स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के कारण निर्धारण आदेश दिया जाकर उसे 1,15,126/– रू. का देयक दिया गया । उक्त कर निर्धारण आदेश गलत है क्योंकि पंचनामा बनाते समय ही उसने पंचनामा बनाने वाले अधिकारी को इस आशय की जानकारी दी थी कि पंचनामा में क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 में दर्शाया गया भार 75 हार्स पावर के दूसरे कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, अतः उसके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग नहीं किया गया था, अतः स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने के आधार पर उसे जो देयक जारी किया गया है, उसे निरस्त किया जाए । उपभोक्ता की इस शिकायत को प्रकरण क्रमांक W0188611 में पंजीबद्ध किया गया था ।

3. उपभोक्ता की उक्त शिकायत के संबंध में अनावेदक की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया था कि निरीक्षण किए जाने पर उपभोक्ता के परिसर में पावर लूम उद्योग हेतु 25 हार्स पावर का एक कनेक्शन तथा 75 हार्स पावर का दूसरा कनेक्शन पाया गया था । 25 हार्स पावर के पहले कनेक्शन से 27.7 हार्स पावर का विद्युत भार जुड़ा पाया गया था । उपभोक्ता ने एक ही परिसर में दो कनेक्शन राजस्व लाभ हेतु प्राप्त किए थे, जबकि एक परिसर में एक ही कनेक्शन लेना चाहिए था, ऐसी स्थिति में उसे कर निर्धारण का जो आदेश दिया गया है वह उचित है ।

4. उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम ने दिनांक 23.07.11 को आदेश पारित किया था । इस आदेश के अनुसार फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत (परिवाद) को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था कि उसके परिसर में दिनांक 18.11.10 को निरीक्षण किए जाने पर 25 हार्स पावर से अधिक भार का उपयोग किया जाना पाया गया था, परन्तु 1,15,126/– रू. का जो कर निर्धारण आदेश दिया गया है वह उचित नहीं है, अतः ऐसे कर निर्धारण आदेश को निरस्त करते हुए पुनः पुनरीक्षित कर निर्धारण आदेश दिए जाने का निर्देश दिया गया था ।

5. उपभोक्ता ने फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे प्रकरण क्रमांक L0022011 में दर्ज किया गया । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन का निराकरण दिनांक 01.03.13 को किया गया तथा यह पाया गया कि प्रश्नगत् पंचनामा दिनांक 18.11.10 में उपभोक्ता की ओर से कण्डिका 11 में अंकित टीप के संबंध में फोरम द्वारा विचार नहीं किया गया है । उक्त पंचनामा में अंकित टीप के परिणाम पर ही उपभोक्ता की शिकायत का परिणाम निर्भर करता है, अतः उक्त टीप के संबंध में फोरम विचार कर पुनः आदेश पारित करें ।

6. विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश के बाद फोरम ने मामले को पुनः सुनवाई में लिया । उपभोक्ता को पुनः लिखित कथन प्रस्तुत करने तथा अनावेदक को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि उपभोक्ता का विवाद भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 की परिधि में आती है, अतः ऐसे विवाद की सुनवाई का अधिकार फोरम तथा लोकपाल को नहीं है । अतः उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किया गया ।

7. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फोरम ने विद्युत लोकपाल के आदेश के अनुसरण में कार्यवाही नहीं की है तथा जो निष्कर्ष दिया है वह विधिसंगत न होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

8. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन का जवाब पुनः अनावेदक की ओर से विस्तार से प्रस्तुत किया गया है तथा उसमें मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किया जाना विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की परिधि में आता है, अतः शिकायत को सुनने का अधिकार विद्युत लोकपाल को नहीं है ।

9. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** :– ''(1) क्या उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.11.10 को स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था ?

(2) क्या उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जाना विद्युत के अप्राधिकृत उपयोग की परिधि में आता है ?''

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है

10. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का विवेचन** – दिनांक 18.11.10 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारी द्वारा किया गया था तथा पंचनामा बनाया गया था । उक्त पंचनामा का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि पंचनामा बनाने वाले अधिकारी ने यह टीप अंकित की थी कि उपभोक्ता के एक ही परिसर में दो कनेक्शन हैं । पहले कनेक्शन का मीटर क्रमांक 09599 है, जिसका स्वीकृत भार 25 हार्स पावर है तथा दूसरे कनेक्शन का सर्विस क्रमांक 93–44–3914963 है । 25 हार्स पावर का जो कनेक्शन है उसमें 1 हार्स पावर के 24 पावर लूम, 3 हार्स पावर की वाईंडिंग मशीन, 1 हार्स पावर के एक्जास्ट फेन, 1.5 हार्स पावर के वेन्सन फेन तथा 1.2 हार्स पावर के ट्यूब लाईट का भार संयोजित है । पंचनामा में यह टीप भी अंकित की गई है कि 3 हार्स पावर की वाईंडिंग मशीन का कनेक्शन उक्त मीटर से नहीं है अपितु दूसरे कनेक्शन से है । इस तरह से संयोजित भार 27.7 हार्स पावर का पाया गया । इस पंचनामा की कण्डिका 11 में उपभोक्ता की ओर से यह टीप अंकित की गई थी कि क्रमांक 2 लगायत 5 अर्थात् वाईंडिंग मशीन, दोनों तरह के फेन तथा ट्यूब लाईट के कनेक्शन 75 हार्स पावर के दूसरे कनेक्शन से संयोजित हैं ।

11. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की उक्त शिकायत के संबंध में पहली बार जब आपत्ति की गई थी उस समय यह आपत्ति नहीं की गई कि उपभोक्ता विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग कर रहा था । आपत्ति यह की गई थी कि उसके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग किया जा रहा था । पंचनामा में उपभोक्ता की ओर से अंकित टीप के संबंध में अनावेदक की ओर से कोई स्पष्टीकरण या विवरण नहीं दिया गया था तथा पंचनामा बनाने वाले अधिकारी को भी उपस्थित नहीं किया गया था, मात्र यह कहा गया कि उपभोक्ता की आपत्ति पर पुनः जांच की गई थी तथा वाईंडिंग मशीन को दूसरे कनेक्शन

से संयोजित होना पाया गया था परन्तु शेष कनेक्शन किस मीटर से सम्बद्ध थे इसका कोई स्पष्टीकरण अनावेदक की ओर से नहीं दिया गया था अर्थात् उनकी ओर से यह माना गया था कि वाईंडिंग मशीन के अतिरिक्त अन्य कनेक्शन 25 हार्स पावर के कनेक्शन से ही संयोजित थे ।

12. उपभोक्ता के द्वारा पंचनामा में अंकित टीप के संबंध में फोरम द्वारा विचार न किए जाने पर मामले को पुनः फोरम के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वह पंचनामा में उपभोक्ता के द्वारा अंकित टीप के गुण–दोषों पर विचार करे, परन्तु फोरम ने स्पष्ट निर्देश के बाद भी पंचनामा में उपभोक्ता के द्वारा अंकित टीप के संबंध में कोई विचार नहीं किया था अपितु एक नया आधार लेकर उपभोक्ता की शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण धारा 126 भारतीय विद्युत अधिनियम की परिधि में आने के कारण उसे शिकायत की सुनवाई का अधिकार नहीं है । यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि प्रकरण धारा 126 की परिधि में आता था तो पहली बार फोरम द्वारा उसकी सुनवाई क्यों तथा किन कारणों से की जाकर उपभोक्ता की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उसे अनुतोष प्रदान किया गया था । उपभोक्ता की शिकायत का पहली बार निराकरण करने वाले तथा पुनः सुनवाई का निर्देश देने के बाद मामले का निराकरण करने वाले फोरम के आदेशों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय भारतीय विद्युत अधिनियम तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों पर विचार किए बिना मनमाने तरीके से कार्यवाही की है और उपभोक्ता की शिकायत का वास्तविक रूप से तथा विधिसंगत तरीके से निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया है ।

13. इस मामले में उपभोक्ता की ओर से शिकायत के साथ अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । शिकायत में केवल यह बताया गया था कि अनुज्ञप्तिधारी ने 25 हार्स पावर के कनेक्शन पर अतिरिक्त भार न होने पर भी सरकार द्वारा दी जा रही सहायता छीन ली और नए उच्च टैरिफ से बिल दिया है । इस शिकायत के संबंध में उपभोक्ता की ओर से मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के समक्ष विद्युत प्रदाय करने का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसकी छायाप्रति तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र का अवलोकन करने से यह साबित नहीं होता कि उपभोक्ता ने 25 हार्स पावर का विद्युत भार 24 हार्स पावर की पावर लूम मशीन चलाने के लिए प्राप्त किया था, इसके विपरीत उक्त दोनों दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि उपभोक्ता ने पानी की मोटर, वेल्डिंग मशीन, प्रकाश, पंखे आदि के लिए 25 हार्स पावर का विद्युत संयोजन प्राप्त किया था । ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब उसने केवल 24 हार्स पावर की पावर लूम मशीन के लिए कनेक्शन प्राप्त

नहीं किया था तब वह 24 हार्स पावर की पावर लूम मशीन कहां और किन परिस्थितियों में चला रहा था, इसके अतिरिक्त इन्हीं पावर लूम मशीनों को जिस परिसर में संचालित किया जा रहा था उस परिसर में उसने पंखे तथा प्रकाश के लिए दूसरे कनेक्शन से कनेक्शन कैसे और किन परिस्थितियों में प्राप्त किया था ।

14. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी उचित होगा कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा यह आपत्ति की गई है कि उपभोक्ता को एक ही परिसर में दो कनेक्शन नहीं लेना था और उपभोक्ता ने ऐसा कर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया था । संभवतः विद्युत वितरण कम्पनी के उत्तरदाई अधिकारियों को दिनांक 18.11.10 को पंचनामा बनाते समय तथा इस पंचनामा के आधार पर कार्यवाही करते समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपभोक्ता द्वारा एक ही परिसर में दो कनेक्शन लेकर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है । यदि उन्हें इस बात की जानकारी होती तो निश्चित ही दिनांक 18.11.10 को अथवा उसके बाद उनके द्वारा इस संबंध में उपभोक्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जाती, परन्तु जानकारी होने के बाद भी इस संबंध में उनके द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध किसी तरह की कार्यवाही किया जाना यह साबित करता है कि विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों की मिली–भगत से ही उपभोक्ता को एक परिसर में दो विद्युत कनेक्शन नियम विरूद्ध दिए गए थे ।

15. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 7.21 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई स्वीकृति तथा अनुबंध में दिए गए प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा, इस मामले में उपभोक्ता ने एक ही परिसर में दो विद्युत संयोजन पृथक–पृथक प्राप्त किए थे । उपभोक्ता द्वारा उक्त दोनों संयोजनों के संबंध में जो अनुबंध हुए थे उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनावेदकगण की ओर से भी ऐसे अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, परन्तु उपभोक्ता की ओर से जो दस्तावेज अर्थात् विद्युत प्रदाय के लिए आवेदन पत्र की फोटो प्रति और परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उन्हीं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता ने 25 हार्स पावर का कनेक्शन विद्युत ऊर्जा संचालित मोटर का उपयोग करने तथा प्रकाश एवं पंखे के लिए प्राप्त किया था। उपभोक्ता ने 25 हार्स पावर का संयोजन किस प्रयोजन से प्राप्त किया था, इसका उल्लेख या जानकारी उपभोक्ता की ओर से नहीं दी गई है, अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने 25 हार्स पावर का जो कनेक्शन विद्युत मोटर और पंखे तथा प्रकाश के लिए प्राप्त किया था उस संयोजन में उसने 24 हार्स पावर की विद्युत संचालित मोटर लगा ली थी और उसी संयोजन में वह पंखे तथा प्रकाश का उपयोग भी कर रहा था । निरीक्षण किए जाने पर उसने केवल यह आपत्ति लगा दी थी कि उसने उक्त संयोजन 75 हार्स पावर के

कनेक्शन से जोड़ रखे हैं, परन्तु ऐसा करने की अनुमति उसने विद्युत अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की थी इसका कोई विवरण उसकी ओर से नहीं दिया गया है ।

16. उपभोक्ता की ओर से अपनी शिकायत के संबंध में सुसंगत जानकारी को प्रस्तुत न किया जाना तथा आधी अधूरी जानकारी प्रस्तुत किया जाना ही यह साबित करता है कि वह स्वच्छ हाथों से शिकायत का निराकरण करने के लिए प्राधिकृत संस्था के समक्ष नहीं आया है, अतः उसकी यह शिकायत विश्वास किए जाने योग्य नहीं है कि उसने 25 हार्स पावर का जो विद्युत संयोजन प्राप्त किया था उसमें स्वीकृत भार से अधिक अतिरिक्त भार का उपयोग नहीं किया जा रहा था । अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का विनिश्चय उपभोक्ता के विरूद्ध किया जाता है ।

17. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का विवेचन** – उपभोक्ता ने 25 हार्स पावर का जो विद्युत संयोजन प्राप्त किया था उसमें उसके द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक भार का उपयोग किया जा रहा था । इस तरह भार का उपयोग किया जाना स्वीकृत सीमा से अधिक भार का उपयोग किए जाने की परिधि में आता है । इस तरह भार का उपयोग किया जाना विद्युत के अपराधिकृत उपयोग की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि उपभोक्ता का संयोजन विद्युत मोटर चलाने, पंखा तथा प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया था और उसके द्वारा यदि किन्हीं परिस्थितियों में भार का अधिक उपयोग किया गया तो उसका उपचार उससे क्षतिपूर्ति के रूप में राशि की वसूली किया जाना था । यह मामला किसी तरह विद्युत अधिनियम की धारा 126 की परिधि में नहीं आता था । यह तथ्य इस बात से भी साबित होता है कि पंचनामा बनाए जाने के बाद भी विद्युत वितरण के लिए उत्तरदाई अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के अधिकारियों के द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 अथवा मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । अतः फोरम का यह निष्कर्ष की उपभोक्ता की शिकायत धारा 126 की परिधि में आती है, विधिसंगत प्रतीत नहीं होती है, अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का विनिश्चिय उपभोक्ता के पक्ष में किया जाता है ।

: <u>निष्कर्ष</u> :

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारणीय प्रश्न क्रमाक – 1 में जो विनिश्चिय किया गया है उसके अनुसार उपभोक्ता किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है, परन्तु उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिनांक 23.07.11 को जो निष्कर्ष दिया गया था उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार न पाए जाने के कारण फोरम के उक्त आदेश को यथावत् कायम रखा जाता है ।

फोरम के उक्त आदेश के अनुसार उपभोक्ता अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी होगा । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत् अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल